

11716/18



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp




Certificate No. : IN-UP05449840360726Q
Certificate Issued Date : 21-Dec-2018 12:10 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0106510910881730Q
Purchased by : ARBIT INFRATEL PVT LTD
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : GATA NO-1001 MI, 1002 MI, MAUJA BASHARATPUR GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.) :
First Party : NEELAM SINGH W O VISHWAJEET PRATAP SINGH
Second Party : ARBIT INFRATEL PVT LTD
Stamp Duty Paid By : ARBIT INFRATEL PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 17,60,000
(Seventeen Lakh Sixty Thousand only)



-----Please write or type below this line-----

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abhishek Agrawal
DIRECTOR

Verified By.....

Locked By.....



UP 0005571365

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Warning



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



000227362



Neelam Singh

8368290929



Abhishek Singh

8400333333



0009208150



8400999999

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

- मूल्यांकन सूची का संक्षिप्त विवरण-
- भाग-2
- प्रारूप- 3
- क्रम संख्या- 9
- मौजा- बशारतपुर
- वी कोड- 0091
- असुरन चौराहा के बाद से एच0 एन0 सिंह चौराहा तक जाने वाली सड़क
- क्षेत्रफल - 7426 वर्ग फीट यानी 690.15 वर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (1) के अनुसार 0 से 500 वर्ग मीटर हेतु प्रभावी दर- रुपया 38000/- प्रति वर्ग मीटर
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (2) के अनुसार 500 से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु प्रभावी दर- रुपया 38000/- प्रति वर्ग मीटर - 15 प्रतिशत = रुपया 32300/- प्रति वर्ग मीटर
- प्रथम 500 वर्ग मीटर का मूल्यांकन- रुपया 1,90,00,000/-
- अवशेष 190.15 वर्ग मीटर का मूल्यांकन- रुपया 61,42,000/-

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abhishek Singh
DIRECTOR





- कुल मूल्यांकन- रुपया 2,51,42,000/-
- कुल स्टैम्प- रुपया 17,60,000/-
- ईस्टैम्प- रुपया 17,60,000/-

हम कि श्रीमती नीलम सिंह पत्नी विश्वजीत प्रताप सिंह निवासिनी मेन रोड, कप्तानगंज, तहसील कप्तानगंज, जिला कुशीनगर हाल मुकाम फ्लैट नं0 301, प्लाट नं0 एफ-30, महगुन मैनर, सेक्टर-50, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0 प्र0 पिन 201301 के हैं, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे भू-स्वामी/प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भूस्वामी स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावेगा)।

..... प्रथम पक्ष

तथा

आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा0 लि0 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर द्वारा निदेशक अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, तहसील सदर, शहर व जिला- गोरखपुर के हैं, (जिन्हें कि इस विलेख में आगे बिल्डर/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वयं उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा)।

.....द्वितीय पक्ष

विदित हो कि कार्यालय उपनिबन्धक सदर प्रथम गोरखपुर में दिनांक 05/10/2009 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7233, पृष्ठ 239 से 290 तक क्रमांक 5929 पर रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना- हवेली, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर के आराजी संख्या 1002 मि के रकबा 5280 वर्ग फीट यानी 490.7063 वर्ग मीटर को हम प्रथम पक्ष ने उसके स्वामी से क्रयकर मालिक काबिज हुऐ तथा कार्यालय उपनिबन्धक सदर प्रथम गोरखपुर में दिनांक 26/10/2009 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7264, पृष्ठ 43 से 72 तक क्रमांक 6362 पर रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना- हवेली, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर के आराजी संख्या 1002 मि के रकबा 388 वर्ग फीट व आराजी संख्या 1001 मि के रकबा 1758 वर्ग फीट यानी कुल रकबा 2146 वर्ग फीट अर्थात 199.4423 वर्ग मीटर को हम प्रथम पक्ष ने उसके स्वामी से क्रयकर मालिक काबिज हुऐ इस प्रकार उपरोक्त दोनो विक्रय विलेख के द्वारा हम प्रथम पक्ष कुल रकबा 7426 वर्ग फीट यानी 690.15 वर्ग मीटर हासिल कर मालिक काबिज है व आज तक बतौर मालिक काबिज दखील चले आ रहे हैं। हम प्रथम पक्ष की इच्छा रही कि अपने हक व हिस्से की उपरोक्त कुल भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवा लेंवे जिससे भविष्य में नियमित आय का स्रोत हो सके। चूंकि हम प्रथम पक्ष को भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान का अभाव है व साथ ही साथ लगने वाले खर्च के अभाव में हम प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार भवन निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। अतएव प्रथम पक्ष बिषयाकित आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाने के लिये काफी दिनों से ऐसे ब्यक्ति के तलाश में रहे जिसे भवन निर्माण करवाने का पर्याप्त अनुभव हो और जो अपना स्वयं का धन लगाकर बिषयाकित आराजी की भूमि पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करवा देवे व अपने द्वारा लगाये गये धन

Neelam Singh

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abhinav Singh
DIRECTOR



के बदलें में नवनिर्मित भवन में उचित हिस्सेदारी प्राप्त कर लेवे। प्रथम पक्ष इस खोज व प्रयास में रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जावे जो उचित शर्तों पर निर्माण कार्य करवाये जिससे प्रथम पक्ष अपनी इच्छानुसार बिषयांकित आराजी की भूमि से वांछित लाभ प्राप्त कर सके। इस सिलसिले में हम प्रथम पक्ष ने कई लोगों से सम्पर्क कर वार्ता किया। इसी तलाश में द्वितीय पक्ष के बारे में पता चला जो इस प्रकार के बहुमंजिली व्यवसायिक भवनो का निर्माण शहर गोरखपुर में सफलतापूर्वक करवा चुके हैं और निर्माण सम्बन्धी पूरा अनुभव रखते हैं और उक्त आराजी संख्या 1001 मि व 1002 मि की उपरांकित भूमि के सटे दक्षिण की भूमि अन्तर्गत आराजी संख्या 1002 मि व 1003 पर रजिस्टर्ड बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के ही माध्यम से भवन निर्माण करवाने जा रहे है, साथ ही साथ उपरांकित समस्त भूमि के सटे दक्षिण की भूमि अन्तर्गत आराजी संख्या 1003 मि व 1004 मि व 998 मि व 999 मि के जुज भाग पर भी द्वितीय पक्ष पहले से ही रजिस्टर्ड बैनामें के माध्यम से बतौर मालिक, भवन निर्माण करवाने के लिये प्रयासरत है। ऐसी दशा में हम प्रथम पक्ष ने उचित समझा कि द्वितीय पक्ष से संविदा कर अपनी भूमि पर भी भवन निर्माण करवा लेंवे क्योंकि अगल बगल की भूमियों पर द्वितीय पक्ष द्वारा मानचित्र आदि स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है और यदि हम प्रथम पक्ष भी अपनी भूमि द्वितीय पक्ष को निर्माण हेतु दें देते है तो पृथक मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नही होगी और हम प्रथम पक्ष की भूमि पर भी हम प्रथम पक्ष की इच्छानुसार भवन निर्माण हो जायेगा।

अतः प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके अपनी इच्छा से द्वितीय पक्ष को अवगत कराया और आमन्त्रित किया कि द्वितीय पक्ष उचित शर्तों पर बिषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण अपने स्वयं के धन से करवा देवे और उसके एवज में उचित हिस्सेदारी नवनिर्मित भवन में प्राप्त कर लेंवे। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किये और बिषयांकित आराजी की भूमि पर भवन निर्माण करवाने को तैयार हो गये तथा दोनो पक्षों की आपसी सहमति (इस विलेख में आगे वर्णित शर्तों पर) से यह तय पाया गया कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली बिषयांकित आराजी की भूमि पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर बहुमंजिला भवन का निर्माण अपना धन लगाकर करवा देंगे और लगाये गये धन के एवज में नवनिर्मित भवन के तयशुदा क्षेत्रफल के तनहा स्वामी हो जायेंगे तथा उसी प्रकार नवनिर्मित भवन के तयशुदा क्षेत्रफल के मालिक प्रथम पक्ष होंगे।

ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तें तय पायी गयी जो पक्षकारों को स्वीकार है:-

1. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिले भवन निर्माण हेतु यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
2. यहकि विषयांकित आराजी की भूमि पर बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु मानचित्र द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्च से स्वीकृत करवाया जायेगा और मानचित्र स्वीकृत करवाने में लगने वाले धन के अलॉवा अन्य सहयोग आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा और साथ ही साथ द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि हम प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली विषयांकित आराजी की भूमि के सटे दक्षिण की भूमि जिसे द्वितीय पक्ष ने रजिस्टर्ड बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के माध्यम से हासिल किया है और उसके सटे

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.

Abhishek Singh
DIRECTOR



- दक्षिण की भूमि जिसे द्वितीय पक्ष ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से हासिल किया है, को शामिल करते हुये संयुक्त मानचित्र स्वीकृत करा लेंगे।
3. यह कि विषयांकित आराजी की भूमि पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्च से भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
 4. यहकि पर भवन निर्माण के लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के बाद द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत आराजी पर निर्माणयोग्य कब्जा प्राप्त होने के चार वर्ष के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वयं के खर्च से भवन का निर्माण पूरा करा लिया जायेगा और यदि इस चार वर्ष में भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बतौर क्षतिपूर्ति रुपया 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) प्रति माह के हिसाब से दिया जायेगा।
 5. यह कि यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट विषयांकित भूमि पर नये बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु निष्पादित किया जा रहा है और विषयांकित भूमि पर मौजूद कोई मलवा या निर्माण आदि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट का अंश नहीं है साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि ऐसे किसी मलवा या निर्माण को हटाकर निर्माणयोग्य कब्जा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की ही होगी।
 6. यहकि निर्माण कार्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस दशा में भवन निर्माण की जो समयावधि सुनिश्चित की गयी है, वह स्वतः बढ़ जायेगी किन्तु ऐसी घटना जिसे टाला न जा सके, जैसे-बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण भवन निर्माण में कोई कठिनाई आती है तो उस दशा में दोनों पक्ष आपस में मिल-बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा लेंगे।
 7. यहकि निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य को कराने के सम्बन्ध में सभी प्रकार के अन्य शासकीय अभिकरण से अनुमति/अनापत्ति इत्यादि जो भी जरूरी होगा, को पूरा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में लगने वाले सभी खर्चों को द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेंगे, अलबत्ता कि इस सिलसिले में धन के अतिरिक्त कोई ऐसा सहयोग जो प्रथम पक्ष से अपेक्षित होगा, को प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी बिलम्ब के मुहैया कराया जायेगा।
 8. यहकि बहुमंजिले भवन के विधिसम्मत निर्माण व उसकी गुणवत्ता की निगरानी व निरीक्षण करते रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को भी रहेगा।
 9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करवाया जायेगा और इस प्रकार से निर्मित भवन में प्रथम पक्ष अपना तयशुदा क्षेत्रफल ही प्राप्त करेंगे तथा भवन के शेष क्षेत्रफल को द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे।
 10. यहकि प्रस्तावित भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया के बिजली, बायरिंग, कलरिंग व फ्लोरिंग आदि सम्मिलित है, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा।
 11. यहकि नवनिर्मित भवन में लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर, अग्निशमन हेतु आवश्यक यन्त्र व जनरेटर की व्यवस्था आश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष अपने खर्च से करेंगे।

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRA TEL PVT. LTD.

Abhi Jit Singh
DIRECTOR



12. यहकि द्वितीय पक्ष भवन के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मटेरियल साज-सज्जा की गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
13. यहकि नवनिर्मित भवन में लोअर ग्राउन्ड फ्लोर पर रकबा 1490 वर्ग फीट, अपर ग्राउन्ड फ्लोर पर रकबा 1490 वर्ग फीट, फर्स्ट फ्लोर पर रकबा 1490 वर्ग फीट व सेकेंड फ्लोर पर रकबा 1490 वर्ग फीट के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष होंगे तथा द्वितीय पक्ष अपने द्वारा निर्माण में लगाये गये समस्त धन के एवज में नवनिर्मित भवन के शेष हिस्से के तनहा मालिक हो जायेंगे। द्वितीय पक्ष के अंश वाले निर्माण के स्वामित्व व कब्जा से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर देने आदि का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा, इसी प्रकार जिस हिस्से के तनहा मालिक का बिज प्रथम पक्ष होंगे उस हिस्से के स्वामित्व व कब्जा से द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने स्वयं उपयोग उपभोग करने व किराये पर उठाने का एकमात्र अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
14. यहकि इस विलेख के निष्पादन व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त खर्चों को द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
15. यहकि किन्हीं कारणों से इस विलेख में अंकित किन्हीं शर्तों के सम्बन्ध में कोई मतभेद पक्षकारों के बीच कभी पैदा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा पंचाट नियुक्त करके मामले का निपटारा किया जायेगा।
16. यहकि भवन में निर्माण करायी गयी सीढ़ी, सेटबैंक, पैसेज, पार्किंग आदि कामन एरियाज का प्रयोग दोनों पक्षकारों एवं उनके अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जावेगा। किसी भी पक्षकार या उनके अन्तरिती या किरायेदार द्वारा ऐसे कामन उपयोग वाले हिस्से पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण या अवरोध पैदा नहीं किया जावेगा।
17. यहकि निर्माण कराये जाने वाले भवन में द्वितीय पक्ष द्वारा बोरिंग कराया जावेगा तथा बिजली, पानी नाली ड्रेनेज व ट्वायलेट, ग्रीनरी, की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
18. यहकि प्रत्येक पक्ष अपने-अपने अंश का आयकर, गृहकर, जलकर, जी एस टी या अन्य देय कर जो भी देय हो को अपने अपने अंश के अनुसार अदा करेंगे।
19. यह कि निर्मित भवन में कामन पैसेज, सीढ़ी, पार्किंग, सेटबैंक इत्यादि स्थान जो पक्षकारों व उनके अन्तरियों के संयुक्त प्रयोग में रहेगी के सम्बन्ध में यह तय पाया गया कि ऐसे कामन उपयोग वाले स्थानों के अनुरक्षण (मेन्टीनेन्स) हेतु द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि/एजेन्सी द्वारा जो भी मेन्टीनेन्स चार्ज निर्धारित किया जायेगा या उसमें समय-समय पर बढोत्तरी की जावेगी, के अदा करने की जिम्मेदारी भवन के समस्त अध्यासियों या पक्षकारों द्वारा आबाद किरायेदारान द्वारा अदा किया जायेगा, ताकि इस बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मेन्टीनेन्स, सुचारु रूप से होता रहे।

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abhishek Aggarwal
DIRECTOR



विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1760000 बाजारी मूल्य - 25142000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक द्वारा
अभिषेक अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर

Abhishek Agrawal



श्री. आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक
द्वारा

अभिषेक अग्रवाल अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
27/12/2018 एवं 10:38:04 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

27999

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Avinash Pal

अविनाश पाल प्रभारी

उप निबंधक, सदर प्रथम

गोरखपुर

27/12/2018

श्री अविनाश पाल

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नि-मित्त



20. यहकि निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के (मटेरियल लेबर या कान्ट्रेक्टर) के बकाया/भुगतान का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
21. यह कि इस अनुबन्ध विलेख में वर्णित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यह भी तय पाया गया कि प्रत्येक पक्ष भवन में प्राप्त अपने अपने अंश के लिये बिजली का कनेक्शन अपने स्वयं के खर्च से प्राप्त करेंगे।
22. यह कि भविष्य में गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के बाद प्रथम पक्ष को लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व सेकेंड फ्लोर पर प्राप्त होने वाले रकबे (उपरोक्त पैरा 13 के अनुसार) को दर्शाते हुये नक्शा नजरी तैयार कर उसे संलग्न करते हुये अनुपूरक विलेख निष्पादित कर निबन्धित करा लिया जायेगा।

इस प्रकार इस विलेख को पक्षकारान अपने-अपने स्वेच्छा वो स्वस्थ बुद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के तथा खूब सोच समझकर व पढ़ व समझकर निष्पादित करते हुए साक्षियों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बना व अंगूठा चिन्हों को लगा दिया है कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे जो दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों पर भी प्रभावी व बाध्यकारी होगा।

तफसील भूमि अन्तर्गत मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा परगाना- हवेली तहसील सदर, जिला गोरखपुर के आराजी नम्बर 1001 मि व 1002 मि (एक हजार एक मि व एक हजार दो मि) कुल रकबा 7426 वर्ग फीट (सात हजार चार सौ छब्बीस वर्ग फीट) यानी 690.15 वर्ग मीटर (छः सौ नब्बे दशमलव एक पाँच वर्गमीटर), हम प्रथम पक्ष अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से पर भवन निर्माण के लिये यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किये जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

चौहद्दी-

पूरब- सम्पत्ति श्रीमती चन्द्रावती देवी।

पश्चिम- मेडिकल कालेज रोड (असुरन चौराहा के बाद से एच0 एन0 सिंह चौराहा तक जाने वाली सड़क)।

उत्तर- सम्पत्ति बबलू लूथर।

दक्षिण- बाउन्ड्रीवाल अशोक अग्रवाल आदि जिसका बिल्डर्स एग्रीमेन्ट द्वितीय पक्ष के हक में हुआ है बादहू सम्पत्ति एम कलेन्डर जिसका बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में हो चुका है।

Neelam Singh



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abinash Singh


DIRECTOR



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


विक्रेता: 1

श्रीमती नीलम सिंह, पत्नी श्री विश्वजीत प्रताप सिंह
निवासी: फ्लैट नं०- 301, प्लाट नं०- एफ-30, महगुन मैनर,
सेक्टर- 52, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
व्यवसाय: गृहिणी *Neelam Singh*



क्रेता: 1


श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक के द्वारा
अभिषेक अग्रवाल, पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल
निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर
व्यवसाय: व्यापार *Abhishek Agrawal*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री मोहम्मद नवाज खान, पुत्र श्री नसिर अहमद
निवासी: 515 के, खूनीपुर, अनवर प्रेस, गोरखपुर
व्यवसाय: नौकरी *Mohammed Nawaz Khan*
पहचानकर्ता: 2



श्री आनंद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद मिश्रा
निवासी: फ्लैट नं० 7, लहरी बिल्डिंग, वितेक-होटल के पास
बैंक रोड, गोरखपुर
व्यवसाय: व्यापार *Anand Kumar Mishra*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अविनाश पाल प्रभारी


उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी :

श्री अविनाश पाल
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -
नियमित

प्रिंट करें



Ncelam Singh



FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

Abhishek Agrawal
DIRECTOR



साक्षी Mrid. Nandji Khan s/o late Nandji Chaud. H. no 515 K
Khooniya. P.O. Golekhpur. Golekhpur. 273035.

साक्षी Anand Kumar Mishra s/o late R.P. Mishra
s/o Flat no 7, Lahiri chambers, Bank Road
Golekhpur.

प्रारूपकर्ता व तैयारीकर्ता

M. Anand Mishra

अध्यतानन्द शुक्ल

एडवोकेट

दिनांक 26/12/2018.

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14517 के पृष्ठ 283 से 298 तक क्रमांक 11716 पर दिनांक 27/12/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अविनाश पाल प्रजा

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर
27/12/2018

